भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1583
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीआर में हत्याएं और छीना-झपटी की घटनाएं

†1583. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हत्या और छीना-झपटी की घटनाएं बढ़ रही हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के इलाकों में 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

2. जहाँ तक एनसीटी दिल्ली का संबंध है, विगत तीन वर्षों (वर्ष 2016 से 2018 तक) के दौरान छीना-झपटी की घटनाओं में लगातार कमी आई है। इस अवधि के दौरान हत्या के मामलों में कोई रुझान नहीं है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.05.2019) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हत्या एवं छीना-झपटी की मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	दर्ज किए गए हत्या के मामलों की संख्या	दर्ज किए गए छीना-झपटी के मामलों की संख्या
2016	528	9571
2017	487	8231
2018	513	6932
2019 (31.05.2019	211	2812

3. दिल्ली पुलिस ने अपराधों को रोकने और उनका शीघ्र पता लगाने के लिए कई उपाय किये हैं। इनमें संगठित अपराध के विरुद्ध कारवाई, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी/निगरानी, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त सामूहिक गश्त, बीटों के पुनर्गठन सहित बीट पुलिसिंग पर अधिक ध्यान, अपराधियों की गहन निगरानी तथा 'जनसंपर्क' के माध्यम से नागरिक-केन्द्रित पुलिस व्यवस्था और अन्य सामुदायिक दृष्टिकोण के कार्यक्रम शामिल हैं।

******